<u>न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर</u>

<u>प्रकरण संख्या : अपील/टीए/1224/2004/नागौर</u>

बालिया उर्फ बल्लूराम पुत्र नारायणराम जाति जाट निवासी ग्राम कांटिया तहसील खींवसर जिला नागौर।

....**<u>अपीलांट/वादी</u>**

<u>बनाम</u>

1. रेवतराम पुत्र लादूराम
2. फेफी बेवा लादूराम
3. खुमाराम पुत्र नारायणराम

–समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कांटिया तहसील खींवसर जिला नागौर

4. राजूराम
5. हनुमानाराम
6. बीरबल
7. बाबूराम

–पिसरान रामसुख जाति विश्नोई निवासीगण ग्राम पांचला सिद्धा तहसील खींवसर जिला नागौर

8. राजस्थान सरकार

....**<u>रेस्पोन्डेन्ट्स/प्रतिवादीगण</u>**

<u>खण्ड पीठ</u>
<u>श्री प्रवीण गुप्ता, सदस्य</u>
<u>श्री राम निवास जाट, सदस्य</u>

<u>उपस्थितः–</u>

श्री सोहनपाल सिंह, अधिवक्ता, अपीलांट।
श्री जी.एस.लखावत एवं श्री मनीष पाण्डया, ब्रीफ होल्डर, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स।

निर्णय

दिनांकः– 06.09.2019

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 (संक्षेप में 'अधिनियम') के तहत राजस्व अपील प्राधिकारी, नागौर द्वारा अपील सं. 35/2002 में पारित निर्णय दिनांक 04-03-2002 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय सहायक जिला कलक्टर नागौर के समक्ष अपीलान्ट/वादी ने एक वाद बाबत दावा घोषणा हक खातेदारी एवं हुक्मइम्तनाई दवामी के तहत ग्राम कांटिया स्थित साबिक खसरा संख्या 92 रकबा 214 बीघा जिसके हाल खसरा संख्या 131 रकबा 84 बीघा 1 बिस्वा व खसरा संख्या 132 रकबा 130 बीघा भूमि के संबंध में प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स के विरूद्ध पेश किया। उक्त वाद पत्र का प्रतिवादी संख्या 1 खुमाराम ने अपना इकबाली जवाबदावा पेश कर अंकन किया कि यदि वादी का वाद डिक्री किया जाता है तो उसे कोई उज्र नहीं है। कालान्तर में फेफी ने अपना पृथक से जवाबदावा पेश कर वाद पत्र के कथनों को अस्वीकार कर वाद/वादी को अपास्त किए जाने का निवेदन किया। उक्त दोनों जवाबदावों का वादी ने जवाऊल जवाब पेश कर अंकित किया कि जवाबदावा अस्पष्ट है तथा प्रतिवादी द्वारा रेसज्यूडिकेटा का उज्र गलत लिया गया है। दावे व दोनों जवाबदावे के आधार पर विचारण न्यायालय ने वाद में अनुतोष सहित 5 विवाद्यक किए तथा प्रत्येक विवाद्यक को पृथक-पृथक विरचित करते हुए आज्ञा दिनांक 04-04-2002 पारित की। उक्त आज्ञा इस आशय के साथ पारित की गई कि वादग्रस्त भूमि में वादी बालिया उर्फ बलिया उर्फ बलूराम खसरा संख्या 132 के पूर्व हिस्से में 71 बीघा 7 बिस्वा भूमि की खातेदारी के अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी है, जिससे वाद वादी के पक्ष में खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाता है व वादी को खसरा संख्या 132 रकबा 130 बीघा में से पूर्वी तरफ का 71 बीघा 7 बिस्वा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है व प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किया जाता है कि वे वादी के कब्जेकाश्त व खातेदारी के खेत में दखलन्दाजी नहीं करे। विचारण न्यायालय द्वारा पारित उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 04-04-2002 के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट

रेवतराम ने प्रथम अपीलीय न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर के समक्ष अपील पेश की, जिसे उन्होंने आक्षेपित निर्णय दिनांक 04-03-2004 से आंशिक स्वीकार कर सहायक जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04-04-2002 को निरस्त कर पत्रावली इस निर्देश के साथ विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित की राजस्व वाद संख्या 33/2002 खूमा बनाम रैवतराम के साथ रखकर दोनों पक्षों की साक्ष्य लेकर विधिवत सुनवाई का अवसर प्रदान कर पुनः निर्णय पारित करें। राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित उक्त निर्णय दिनांक 04-03-2004 से व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी ने हस्तगत द्वितीय अपील मण्डल के समक्ष पेश की है।

3. हमने उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस अपील के गुणावगुण पर सुनी।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट/वादी ने अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय एवं डिक्री न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। उनका कथन है कि मामले में विचारण न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड के आधार पर कायम किए गए समस्त विवाद्यकों को विधिनुसार विवेचित करते हुए अपना निर्णय पारित किया है, जो कि विधि सम्मत है। उनका आगे कहना है कि उनके द्वारा विचारण न्यायालय के समक्ष पेश वाद पत्र में विवादित रकबे के क्रम में दस्तावेजों से यह प्रमाणित किया था कि आराजी में हम तीनों भाईयों का 1/3-1/3 हिस्सा रेकार्ड में दर्ज है, जिसके कारण हम तीनों भाईयों ने सम्वत 2012 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रभावी होने से पहले आपसी पारिवारिक बंटवारा मौके पर कर लिया था, जिसके मुताबिक काबिज है। यहीं नहीं प्रतिवादी खुमाराम ने वादी के द्वारा दायर वाद पत्र का समर्थन किया है। उनका तर्क है कि मामले में विचारण न्यायालय ने उपलब्ध रेकार्ड का विधिक परिवेश में समग्र परीक्षण करने के बाद निर्णय पारित किया है, जो कि विधि सम्मत है। ऐसे विधि सम्मत आदेश के विरूद्ध रेस्पोडेन्ट द्वारा पेश अपील में अपीलीय न्यायालय ने सरसरी तौर पर आक्षेपित निर्णय पारित किया है। उनका आगे तर्क है कि अपीलीय न्यायालय ने अपना निर्णय

इस बिन्दु पर निर्धारित किया है कि वाद संख्या 33/2002 को इस प्रकरण के साथ एकजाई करके निर्णय पारित किया जाए। जबकि उन्होंने इस महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य पर गौर नहीं किया उक्त वाद वादी अपीलान्ट बालिया द्वारा वाद दिनांक 20–05–2005 को पेश किया गया, जिसमें पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–04–2002 के बाद पेश किया गया है जो कि कानूनन पूर्व न्याय के सिद्धान्त से बाधित है। उनका आगे तर्क है कि वादी के वाद में स्वयं खुमाराम द्वारा जरिये इकबाली जवाबदावा पेश करने के कारण एस्टोपल का सिद्धान्त लागू होता है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलीय न्यायालय के समक्ष पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध थी, जिसके आधार पर प्रकरण गुणावगुण पर विवेचित योग्य था, फिर भी अपीलीय न्यायालय द्वारा प्रकरण को प्रतिप्रेषित कर आदेश 41 नियम 24 सीपीसी में वर्णित प्रावधानों के विपरीत आक्षेपित निर्णय होने के कारण त्रुटिपूर्ण है। इस दृष्टि से भी आलोच्य निर्णय अपास्त किए जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने प्रस्तुत अपील स्वीकार कर राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय दिनांक 04–03–2004 निरस्त करते हुए सहायक जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–04–2002 को यथावत बहाल रखे जाने का निवेदन किया।

5. इसके विपरीत रेस्पोडेन्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत द्वितीय अपील का विरोध करते हुए मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का समर्थन किया है। उनका कहना है कि विवादित रकबे के अतिरिक्त अपीलान्ट व प्रतिवादीगण के अतिरिक्त अन्य भूमि उनके धारण में थी, जिनका दावे में उल्लेख नहीं किया गया। जबकि विधायिका की भावना के अनुसार धारा 53 के तहत दायर वाद में सहखातेदार के मध्य बंटवारा समस्त आराजियात का एक साथ होना प्रावधित है। उनका कहना है कि वादीगण का दावा पूर्व–न्याय के सिद्धान्त से स्पष्टतया बाधित है। उक्त तथ्यात्मक व विधिक परिवेश में मामले में प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित किया गया आक्षेपित निर्णय व डिक्री विधि के प्रावधानान्तर्गत होने के कारण यथावत रखे जाने योग्य है। अन्त में उन्होंने अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत द्वितीय अपील को खारिज कर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखे जाने का निवेदन किया है।

6. हमनें उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समग्र रेकार्ड का गहन परीक्षण, दोनों अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं मूल्यांकन किया।

7. दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित निर्णय व उपलब्ध पत्रावलियों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादी खूमाराम जो वाद विचारण न्यायालय के समक्ष पेश किया गया, उसमें अन्य खसरा नम्बरान के अलावा आलोच्य वाद में संलिप्त आराजियात भी सम्मिलित है। चूंकि हस्तगत मामले में विचारण न्यायालय ने बालिया द्वारा प्रस्तुत वाद/वादी को आज्ञा दिनांक 04-04-2002 द्वारा डिक्री किया है। इस कारण प्रथम दृष्टया विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दोषपूर्ण होना प्रतीत होता है। रेकार्ड से पाया जाता है कि खूमाराम द्वारा जो दावा पेश किया गया है वह साबिक खसरा संख्या 92 रकबा 214 बीघा जिसके नये खसरा नम्बर 131 रकबा 84 बीघा 1 बिस्वा व खसरा संख्या 132 रकबा 130 बीघा कायम किए गए, जो कि खातेदारी की घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा व बंटवारे के संबंध में है। रेवतराम ने अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के समक्ष उज्र पेश कर कहा कि इस खसरे के अलावा अन्य आराजी और भी है, जिसकी पुष्टि के लिए उनके द्वारा सहायक जिला कलक्टर नागौर में विचाराधीन राजस्व वाद की प्रति भी पेश की है। उक्त वाद खूमाराम द्वारा रेवतराम व बल्लूराम के विरूद्ध दायर किया गया। विवादित आराजीयात पुश्तैनी भूमि है, जिसका विधि की दृष्टि से नियमानुसार एक साथ विभाजन किया जाना पक्षकारान के हित में है तथा यही न्याय की भी मंशा है। उल्लेखनीय है कि एक ही आराजी के संबंध में भिन्न-भिन्न वादों में निर्णय पारित करने से जहां एक ओर न्यायालय का बहुमूल्य समय का उपवास होता है वही दूसरी ओर इससे पक्षकारान के मध्य भविष्य में और वाद बाहुल्यता को बढावा भी मिलता है। हम मामले में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय के इस निष्कर्ष से पूर्णतया सहमत है कि पुश्तैनी समस्त आराजियात का विभाजन एक साथ ही हो सकता है, अलग-अलग नहीं। इस दृष्टि से रेवतराम के द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष पेश अपील को न्यायालय ने

आक्षेपित निर्णय दिनांक 04–03–2004 द्वारा आंशिक स्वीकार कर सहायक जिला कलक्टर नागौर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 04–04–2002 को अपास्त कर मामले को राजस्व वाद संख्या 33/2002 खूमा बनाम रेवतराम के साथ रखकर दोनों पक्षों की साक्ष्य सबूत लेकर विधि अनुसार सुनवाई का अवसर प्रदान करने के बाद पुनः निर्णय पारित करने बाबत प्रतिप्रेषित करने के निष्कर्ष में किसी विधि का उल्लंघन अथवा अपने क्षेत्राधिकार का दुरूपयोग किया जाना नहीं पाया जाता है। अतः हमारी विनम्र राय में प्रस्तुत द्वितीय अपील में विधि का कोई उपचार उपलब्ध नहीं होने के कारण इसे सारहीन होना घोषित करते हुए अपास्त किया जाना उचित समझते है। स्थिति यह प्रकट होती है कि अपीलार्थी ने असंगत आधारों को अपील मीमों में अभिवचित करते हुए पेश की है, जिनसे उन्हें किसी प्रकार की कोई सहायता प्राप्त नहीं हो सकती है।

8. परिणामतः प्रस्तुत द्वितीय अपील सारहीन होना प्रकट होने के कारण अपास्त की जाती है तथा राजस्व अपील प्राधिकारी नागौर द्वारा पारित निर्णय 04–03–2004 को यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राम निवास जाट)
सदस्य

(प्रवीण गुप्ता)
सदस्य